न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 16/2020

प्रार्थीगण

1. चूंगीदेवी पत्नी रतनाराम
   जाति कलबी निवासी गोलिया कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मोबता वल्द होती
2. मदा वल्द होती
3. पांचा वल्द होती
4. दीपा वल्द होती
5. रतना वल्द होती
6. अमरा वल्द होती
7. भगा वल्द केवा
8. मोहन वल्द केवा
9. सुरता वल्द केवा
10. भेरू वल्द केवा
11. कालू वल्द केसा
    कौम बजीर साकिन गोलिया कला तहसील गुड़ामालानी
12. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
13. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

3. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
4. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :–11–01–2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम के तहत पटवार मण्डल भेडाणा के राजस्व ग्राम गोलिया कला के खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 28–10 बीघा का नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण की विद्वान अधिवक्तागण की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2075–2078 सरहद मौजा गोलिया कला के खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 28–10 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:50:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा गोलिया कला के खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 28–10 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.1.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:50:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी